रेलवे स्टेशनों पर खान-पान सेवाएं

2737. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ग्वालियर, बीना, भोपाल, इटारसी, बिलासपुर, रायपुर, जबलपुर, इन्दौर रेलवे स्टेशनों पर खान-पान सेवाएं प्रदान कर रहे ठेकेदारों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) उनमें से कितने ठेकेदार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं तथा वे किन-किन रेलवे स्टेशनों पर काम कर रहे हैं;

(ग) सरकार ने उन्हें कितने स्टॉल, फेरी ट्रालियां तथा बीड़ी-सिगरेट के स्टॉल स्वीकृत किए हैं;

(घ) इन ठेकेदारों को किन-किन तारीखों को ठेके दिए गए तथा क्या वे अभी भी चालू हैं ;

(ङ) यदि इनमें से कुछ ठेकेदारों की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके नाम क्या हैं और वे किन-किन स्टेशनों पर काम करते थे तथा क्या उन्हें दिए गए ठेकों को रद्द करके समाचार-पत्रों में नए विज्ञापन दिए गए हैं;

(च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे ठेकेदारों की संख्या कितनी है जिन्हें नए ठेके दिए जाने की संभावना है; और

(छ) क्या उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ठेकेदारों को सामान्य श्रेणी की तुलना में कम बिक्री स्टॉल, ट्रालियां तथा बिक्री-स्थल स्वीकृत किए गए हैं; यदि हां, तो रेलवे इस पक्षपात को कब तक समाप्त कर देगी ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) (ख), (घ) और (ङ) एक विवरण संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट 155, अनुपत्र सं 93]

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(च) यह खाली होने वाले या स्वीकृत किए जाने वाले ठेकों की किस्म और यूनिट मूल्य पर निर्भर करेगी ।

(छ) ठेकों का आवंटन बिना किसी भेदभाव के नीति के अनुसार किया जाता है । वस्तुतः आधा यूनिट के बराबर सभी खानपान/बेडिंग के ठेके केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ही आवंटित किए जाते हैं । स्टालों तथा ट्रालियों की संख्या ठेकेदार को प्राप्त ठेके के यूनिट मूल्य तथा प्लेटफार्म/स्टेशन विशेष पर इसकी आवश्यकता पर निर्भर करती है ।

Irregularities in Draw of Lots of Flats by Group Housing Societies

2738. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 3297 given in the Rajya Sabha on the 11th August, 1989; and state:

(a) the dates on which the DDA/Registrar, Cooperative Societies came to know of the illegal draw of lots conducted by Anand Lok Cooperative Group Housing Society in violation of the Directives dated 31-5-84 and the date on which action against the society was initiated by the DDA and Registrar Cooperative Societies in this regard and the details thereof;

(b) the date and the details of the order of the High Court directing the Registrar Cooperative Societies to verify membership of the said society at the late stage and the basis on which the said order was passed by the High Court;